'ईमेल/स्पीडपोस्ट'

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन/आयोजनागत
लेखाशीर्षक–451500101050035

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्याः 1/शा0/142/2011–1/164/2011 लखनऊः दिनांक 14 नवम्बर, 2011

विषयः यमुना एक्सप्रेस परियोजना प्रभावित जनपद आगरा के 07 ग्रामों हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सी0सी0रोड एवं पक्की नाली/के0सी0 ड्रेन का निर्माण हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3001/33–3–2011–58/2011 दिनॉक–14.11.2011 द्वारा अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में उक्त योजनान्तर्गत लेखाशीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–03–बहुउददेशीय पंचायत भवनों के निर्माण (जिला योजना)–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में हो रही बचत में से पुर्नविनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या– 14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–101–पंचायती राज–05–सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में ₹ 420.00 लाख (₹ चार करोड़ बीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए उक्त धनराशि यमुना एक्सप्रेस परियोजना प्रभावित जनपद आगरा के 07 ग्रामों क्रमशः चौगान, छलेसर, कुबेरपुर, रामनगर खन्दौली, मलूपुर, पर्वतपुर एवं हाजीपुर खेड़ा में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सी0सी0रोड एवं पक्की नाली निर्माण हेतु ₹ 60.00 लाख प्रति ग्राम की दर से धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	ग्राम सभा का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5
1	आगरा	चौगान	60.00	
		छलेसर	60.00	
		कुबेरपुर	60.00	
		रामनगर खन्दौली	60.00	
		मलूपुर	60.00	
		पर्वतपुर	60.00	
		हाजीपुर खेड़ा	60.00	
		योग	420.00	420.00

(₹ चार करोड़ बीस लाख मात्र)

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी0/1–901/दस–2010–231/11 दिनांक 21.03.2011, तथा शासनादेश संख्या–बी–2–1988/दस–2011– 244/2011 दिनांक 25–8–2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–05–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ" एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा लेखाशीर्ष" 0515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य प्राप्तियॉ–04–अधिष्ठान व्यय की प्राप्तियॉ" के अन्तर्गत राजकोष में चालान से जमा किया जायेगा।

3— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के **अनुदान संख्या— 14 के लेखाशीर्षक "4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत—101—पंचायती राज—05—सी0सी0रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण—35—पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "** के नामें डाला जायगा।

4— किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

5— उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7— सी0सी0रोड एवं पक्की नाली का निर्माण के सम्बन्ध में समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934 / दस—208—मित—1 / 2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

13— प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—7 पर अंकित है।

भवदीय

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्या:1 / शा0 / 142 / 1 / 2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
2— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण / ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन।
5— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
6— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7— उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), आगरा।
8— उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय उ0प्र0।
9— जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।